तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील मे जारी हुए
10.11.2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में दिनांक 17.10.2025 को प्रकरण में बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि उक्त प्रकरण की सुनवाई की स्टेज वास्ते मँगवाये जाने मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा नियत थी एवं विगत लगभग 8 माह से न्यायालय द्वारा कोर्ट नहीं ली जा रही थी एवमं दिनांक 15.02. 2022 से पूर्व आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी को राजकीय दौरे/कानून व्यवस्था में व्यस्त होने का हवाला देते हुये आदेशिका पर ही सील लगाकर तारिख पेशी दी जा रही थी। केवल डिस्पोजल कोटा बढाने के लिए वाद पत्र को गलत ढंग से खारिज किया है। इसी दौरान वादी कन्हैया की मृत्यू हो गई और उक्त मुकदमे के बारे में पता नहीं चल सका। प्रार्थीगण द्वारा मुकदमे के सिलसिले मे सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी करने का प्रयास किया था लेकिन मालूम नही चला इसके बाद न्यायालय में आकर पत्रावाली के बारे में मालूम किया तब पता चला की वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया है। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम प्रथक से पेश किया जा रहा है। प्रकरण वास्ते तलबी मौका रिपोर्ट तहसीलदार की स्टेज पर खारिज हुआ है। अगर प्रकरण को रेस्टोर नही किया गया तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होगा। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र संख्या 255/11 उनवान कन्हैया बनाम तहसीलदार निर्णय दिनांक 15.02.2022 को पुनः सुनवाई हेतु रिकॉर्ड पर लेने की कृपा करें। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक मनन किया। यद्यपि वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है, तथापि वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:27:58 IST
Reason: SelfAttested